न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–126/2018 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. दीनू पुत्र शम्मी,
2. नसरू पुत्र सम्मी,
3. हारून पुत्र सम्मी,
4. ईसब पुत्र सम्मी,
   समस्त जातियान मेव निवासीयान ग्राम बेराबास, तहसील रामगढ जिला अलवर राज0

..... अपीलांटस

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रामगढ अलवर

..... रेस्पोडेण्टस

2. असरी पुत्री सम्मी निवासी ग्राम बेराबास हाल निवासी ग्राम जगडका तहसील नगर जिला भरतपुर राज0

.....तरतीबी रेस्पोडेण्ट

उपस्थित :–
1. श्री कमल रावत, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री गणपत सिंह नरूका, पैरोकार सरकार ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–10.02.2021

यह अपील विद्वान उप जिलाधीश के निर्णय दिनांक 15.06.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 188 बाबत इस्तकरारहक व दुरूस्ती इन्द्राज राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया गया कि आराजी खसरा नंबर 300 रकबा 47 ऐयर व 301 रकबा 4.26 है0 वाके ग्राम बेराबास, तहसील रामगढ में है जो वादग्रस्त आराजी के संवत 2020 में खसरा नंबर 181 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा व 182 रकबा 16 बीघा 17 बिस्वा एवं संवत 2020 से पूर्व के खसरा नंबर 103 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, 104 रकबा 16 बीघा 4 बिस्वा व 105 मिन रकबा 13 बिस्वा थे। विवादित आराजी चालू काश्त की आराजी है, जिस पर वादी अरसे दराज से काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। वादी का साबिक रिकार्ड नकल जमाबंदी संवत 2010–2013 में नाम भी अंकित

है। विवादित आराजी पर वादी का उसके बुजुर्गों का कब्जा अरसे दराज विगत करीब 60 साल से निरन्तर चला आ रहा है। इसलिये वादी को विवादित आराजी में हकूक खातेदारी हासिल हो चुके हैं। विवादित आराजी को राजस्व अभिलेख में सिवायचक नाकाबिल काश्त दर्ज किया हुआ है, जो इन्द्राजात खिलाफ कानून व खिलाफ मौका है क्योंकि विवादित आराजी चालू काश्त की आराजी है और वादी मौके पर काश्त करता चला आ रहा है। वादी ने विवादित आराजी को काबिलकाश्त बनाने में काफी जिस्मानी मेहनत की है और लागत लगाई है। इसलिये विवादित आराजी नाकाबिल काश्त आराजी नही है। राजस्व अभिलेख में हो रहे इन्द्राजात कायम रहने से वादी के हकूक जायल होते है। इसलिये वादी उक्त गलत इन्द्राजात को कलमजन करवाकर स्वयं को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित कराने का व कागजात माल में स्वयं को बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज कराने का व तदानुसार समस्त कागजात माल में दुरूस्ती कराने का कानूनन अधिकारी है। तहत अदालत द्वारा उक्त वाद वादी कैम्प कोर्ट में दिनांक 15.06.2018 को खारिज कर दिया। उक्त निर्णय दिनांक 15.06.2018 से व्यथित होकर अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांट ने मुख्य बहस में दावें के तथ्यों को दोहराया और तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश का हवाला दिया। अधिवक्ता अपीलांट ने कथन किया कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने अपना निर्णय पारित करते समय कानूनी प्रावधानों का पालन नही किया। मात्र दिनांक 15.06.2018 को कैम्प कोर्ट नंगला बंजीरका में वाद को यह कहते हुये खारिज कर दिया कि पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड एवं साक्ष्य वाद वादी प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि है, वाद वादी साबित नही होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। इस प्रकार उक्त आदेशिका में उक्त फंडिंग दर्ज करते हुये वाद खारिज कर दिया, जबकि कानूनन निर्णय व डिक्री पारित की जानी चाहिये थी। माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद में कोई भी तनकीयात कायम नही की गई। जिस कारण भी निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किये जाने योग्य है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण अपीलांट को साक्ष्य पेश करने का भी अवसर नही दिया गया। जिस कारण अपीलांट को न्याय से महरूम होना पडा है। विवादित आराजी पर अपीलांट व उनके बुजुर्गान काफी लम्बे समय से खेती बाडी व कुल काश्तकारी कार्य करते चले आ रहे हैं। राजस्व रिकार्ड के अनुसार व कानूनी प्रावधानों के अनुसार भी अपीलांट प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के मुश्तहक थे। माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह कैम्प कोर्ट व राजस्व कैम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार 2018 ग्राम बंजीरका तहसील रामगढ में पारित किया गया है, जिसकी सूचना अपीलांटान को नही थी और ना ही निर्णय की जानकारी हो पाई। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर माननीय अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.06.2018 को निरस्त किया जावे।

जवाब में सरकार पैरोकार का कथन है कि विवादित आराजी प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी है, अपीलांट को इस प्रकार की भूमि पर कब्जा नही दिया जा सकता है। अपीलांट के प्रतिबंधित भूमि पर कब्जा/खातेदारी के अधिकार नही बनते हैं।अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

हमने पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया तथा विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । तहत अदालत विद्वान उपखण्ड अधिकारी रामगढ के निर्णय दिनांक 15.06.2018 का अवलोकन किया।

तहत अदालत की आदेशिका दिनांक 21.04.2016 में पत्रावली संशोधित टाईटल में नियत थी, जो दिनांक 16.01.2018 तक चली आ रही थी। परन्तु इसमें संशोधित टाईटल पेश ही नही किया गया। विधिक वारिसान को बिना रिकार्ड पर लिये पत्रावली को कैम्प कोर्ट में दिनांक 15.06.2018 को नियत किया गया। दिनांक 15.06.2018 की आदेशिका "अभयपक्ष अनुपस्थित" कर वादी के वाद को साबित न होने के कारण खारिज किया गया। तहत अदालत ने बिना अपीलांट के वारिसान के प्रार्थना पत्र के निर्णय आदेश 22 नियम 03 व बिना उनको विधिक वारिसान रिकार्ड पर लिये, निर्णय पारित किया गया जो कि एक विधिक त्रुटि है।

द्वितीय, लोक अदालत में पत्रावली में दिनांक 15.06.2018 को निर्णय किया गया परन्तु आदेशिका में यह उल्लेख कहीं नही है कि किस तिथि को लोक अदालत में नियत की गई।

लोक अदालत व स्थाई लोक अदालत के कानून बिंदु संख्या 20 लोक अदालतों द्वारा मामलों की संज्ञेयता (1)(i)क में केवल पक्षकारों के सहमत होने पर ही लोक अदालत में प्रस्तुत किया जा सकता है। तहत अदालत कैम्प कोर्ट द्वारा पक्षकारान की अनुपस्थिति में निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट काबिल स्वीकार के है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। विद्वान उपखण्ड अधिकारी रामगढ के निर्णय दिनांक 15.06.2018 खारिज किया जाता है। प्रकरण तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी रामगढ को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को सुनवाई का अवसर देते हुये गुणावगुण के आधार पर पुनः अपना निर्णय पारित करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 10.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(हरि राम मीना)
10.2.21
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर